भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *224
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है

सरकारी पैनलों पर ओबीसी/एससी/एसटी वकील

224 श्री मस्तान राव यादव बीडा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के पैनलों में ओबीसी/एससी/एसटी वकीलों की संख्या नगण्य है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के पैनलों में ओबीसी/एससी/एसटी वकीलों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा अपने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए वकील की नियुक्ति में इनका अधिक संख्या में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

सरकारी पैनलों पर ओबीसी/एससी/एसटी वकील के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 224, जिसका उत्तर तारीख 20.03.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क), (ग) और (घ) : देश में विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष केंद्रीय सरकार के मुकदमों का संचालन करने के लिए पैनल परामर्शी के विभिन्न प्रवर्गों में वकीलों को पैनल में वकील की रूचि, योग्यता, अनुभव, ख्याति, विशेषज्ञता, व्यवसायिक सक्षमता और बार में प्रतिष्ठा के आधार पर रखा जाता है ।इसलिए, वकीलों को, उनकी जाति/समुदाय पर ध्यान न देते हुए, पैनल में रखना पूर्णत: उनकी उपयुक्तता पर होता है ।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

****